(12)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 3460/I /2016 निगरानी R-3460-I/16

तुलसीदास अहिरवार तनय मगन लाल अहिरवार निवासी उदयपुरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.......निगरानीकर्ता

4-11-16

बनाम

1. खुमान ,काशीराम तनय चतरे काछी
2. लक्ष्मन तनय मन्जू काछी
3. आशा राम ,पल्टू तनय भैयालाल अहिरवार
4. मनू तनय मंगला अहिरवार निवासीगण उदयपुरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ म.प्र. ....रेस्पोन्डेन्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 190/अपील/15-16में आदेश दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध ।

श्रीमानजी,

सेवा में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक तुलसीदास तनय मगनलाल अहिरवार निवासी उदयपुरा द्धारा म.प्र. भू राज्य संहिता 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार लिधौरा के समक्ष दिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3460–एक / 16 जिला–टीकमगढ़

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–7–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ का प्रकरण कमांक 190 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.9.16 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के प्रकरण में ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश दिनांक 26.9.16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 में हुये संशेधन के फलस्वरूप एक बार में 3 माह से अधिक की अवधि के लिये स्थगन नहीं दिया जा सकता है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी जतारा के आदेश से असीमित अवधि के लिये स्थगन दिया जाना प्रतीत होता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित अंतिरिम आदेश प्रथम. दृष्ट्या विधि विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा को निर्देश दिये जाते है कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हों। अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	